

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 02 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 380000/- (तीन लाख अस्सी हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृती परांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलापदाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निशचिता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० अंगद यादव, श्री गर्जन यादव, पि० वर्ग	श्रीमती मनिया देवी (पत्नी)	84/01.02.18	ग्रा०+पो०-सरना, था०+प्र०-शाहपुर, भोजपुर, आरा	70201100088006	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, भौली PUNB01MBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि श्रमिक के व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० सीता राम, 53, श्री मोती राम, अनु० जाति	श्रीमती उर्मिला देवी (पत्नी)	594/17.07.18	ग्रा०-एडोरा, पो०-दुलारपुर, था०+प्र०-उदवंतनगर, भोजपुर, आरा	70491170000379	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कसाप PUNB01MBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मजदूरी एवं पशुपालन के व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० शकुन्तला देवी, 35, पि० वर्ग	श्री मोती लाल महतो (पति)	595/17.07.18	ग्रा०+पो०-सरैया, था०-कृष्णागढ़, प्र०-बड़हरा, भोजपुर, आरा	1617110010095943	पंजाब नेशनल बैंक, कृष्णागढ़, PUNE0161700	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेती मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० विन्देश्वर प्रसाद, 45, श्री राम नरेश प्रसाद, पि० वर्ग	श्रीमती मिनि देवी (पत्नी)	596/17.07.18	ग्रा०-भेल डुमरा, पो०-बड़का डुमरा, था०-मुफसिल आरा, प्र०-आरा सदर, भोजपुर, आरा	2691110010003275	पंजाब नेशनल बैंक, पिरीटा, PUNE0269100	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० राजन साह, 35, स्व० कुन्दन साह, पि० वर्ग	श्रीमती आशा कुँवर (पत्नी)	597/17.07.18	ग्रा०+पो०-सरैया, था०-कृष्णागढ़, प्र०-बड़हरा, भोजपुर, आरा	1617110010105895	पंजाब नेशनल बैंक, कृष्णागढ़, PUNE0161700	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेती मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० निवास यादव, 48, स्व० बटाई यादव, अनु० पि० वर्ग	श्रीमती लालझारो देवी (पत्नी)	613/23.07.18	ग्रा०+पो०-पचमा, था०+प्र०-पीरो, भोजपुर, आरा	70401170001504	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, इसन बाजार PUNB01MBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० बबन सिंह, 44, श्री आनंदी सिंह, पि० वर्ग	श्रीमती कुसुम देवी (पत्नी)	614/23.07.18	ग्रा०-कुसुमाही, पो०-सखुआ, था०+प्र०-उदवंतनगर, भोजपुर, आरा	70491110008984	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कसाप PUNB01MBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेती मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
8	स्व० दसई राम, 56, स्व० मुरेली राम, अनु० जाति	श्रीमती सुरजमोक्षी देवी (पत्नी)	615/23.07.18	ग्रा०+पो०-पियनिया, था०+प्र०-उदवंतनगर, भोजपुर, आरा	2142110010006252	पंजाब नेशनल बैंक, पियनिया, PUNE0214200	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेती मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 380000/-

(तीन लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

(12)



4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-12/2018 के पृष्ठ-15/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-12/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-12/2018-417

पटना, दिनांक :- 30-8-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 380000/- (तीन लाख अस्सी हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को उनके पत्रांक 84 दिनांक 01.02.18, 594, 595, 596, 597 दिनांक 17.07.18, 613, 614, 615 दिनांक 23.07.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।